सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री राम सूरत कुमार, स०वि०स० श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स०वि०स श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स	"बिहार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना में विभिन्न अपराधिक मामलों एवं अन्य मामलों में सीजर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, इन सभी गाड़ियों को वर्षो तक थाना परिसर या थाना के सामने सड़कों पर एक ही स्थान पर खुले में रखा जाता है, जिसके कारण थाना-परिसर में रखे गाड़ियों से थाना में अतिक्रमण सा लगता है एवं स्वच्छता-सुन्दरता में कमी आती है, कई थानों में सीजर गाड़ियों को सड़को पर रखा जाता है जिसके कारण सड़क दुर्घटना एवं जाम की समस्या बनी रहती है । अतः राज्य के सभी थानों में सीजर गाड़ियों को थाना परिसर एवं थाना के सड़को के सामने से हटा कर अन्यत्र किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"	गृह विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स	''बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर विवश है, यह प्रवासी मजदूर अपनी जीवन-यापन, परिवार के पालन-पोषण करने के साथ-साथ बिहार राज्य के आय में वृद्धि करने का भी एक स्त्रोत है । प्राय: दिन आकस्मिक घटना एवं अन्य कारणों से जब उन मजदूरों की दूसरे प्रदेश में मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों में मातम हो जाती है, ऐसे रोते-बिलखते परिवार का शोक और बढ़ जाता है, जब मृत लाश को घर लाने का कोई प्रबंध नहीं होता है, जिस कारण माता-पिता, बच्चे एंव पत्नी अंतिम संस्कार के समय भी अपने कमाउ प्रियजन का मुख तक देख नही पाते हैं और ना जाने उसके मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार होता होगा । अत: सरकार इन प्रवासी मजदूरों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु घर पहुँचाने की व्यवस्था करे इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।''	गृह विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/25- 160 /वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 07.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/25- 160 /वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 07.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/25- 160 /वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 07.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-06/25- 160 /वि०स०, पटना, दिनांक- 7 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 07.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

डाकतार्क